भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 449
जिसका उत्तर शुक्रवार, 21 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

कानूनी शिक्षा में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग

449. श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल :
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत :
डॉ. सुजय विखे पाटील :
प्रो. रीता बहुगुणा जोशी :
श्री कृष्णपालसिंह यादव :
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कानूनी शिक्षा में हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाने का प्रस्ताव है;
(ख) यदि हां, तो विभिन्न भारतीय भाषाओं में कानूनी शब्दावली के डिजिटलीकरण से संबंधित प्रगति का ब्यौरा क्या है;
(ग) कानूनी प्रलेखों में बहुधा उपयोग किए जाने वाले शब्दों की पहचान करने और समान मूल से शब्द एक सकर्मक शब्दावली/सामान्य मूल शब्दावली गढ़कर, जो सभी भारतीय भाषाओं द्वारा अपनाई जाए, बनाने की दिशा में सरकार की पहल के संबंध में प्रगति का ब्यौरा क्या है, और
(घ) क्या सरकार कानूनी शब्दावली का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए संस्थानों और पेशेवरों को नियुक्त करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख): उच्च शिक्षा विभाग ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 अपने पैरा 20.4 में अन्य बातों के साथ-साथ कहती है कि विधिक अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम में, विधिक सोच का इतिहास, न्याय के सिद्धांत, न्यायशास्त्र का अभ्यास, और अन्य संबंधित सामग्री उचित और पर्याप्त रूप से साक्ष्य-आधारित के साथ-साथ सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों को भी प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए। विधि की शिक्षा प्रदान करने वाले राज्य संस्थानों को अंग्रेजी में और उस राज्य की भाषा में जिसमें संस्थान स्थित है - भविष्य के वकीलों और न्यायाधीशों के लिए द्विभाषी शिक्षा के प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए । इस संबंध में, विधिक शिक्षा में हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ाने के उपायों की सिफारिश करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) द्वारा भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) श्री एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की गई है।

साथ ही, विधि और न्याय मंत्रालय हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है

। हिंदी में 65000 विधिक शब्दों की एक शब्दावली संकलित की गई है और यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खोजने योग्य प्रारूप में जनता के लिए उपलब्ध है ।

(ग) और (घ): विधि और न्याय मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क से संबंधित शब्दावली के अतिरिक्त, न्यायशास्त्र में प्रयुक्त शब्दों के अलावा नए जोड़े गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का अनुवाद भी डाला है । भारतीय विधियों में प्रयुक्त अरबी और फ़ारसी शब्दों को समझने के मामले को सरल बनाने के लिए, मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर ऐसे शब्दों के हिंदी समकक्षों के अतिरिक्त, अंग्रेजी अनुवाद के साथ लैटिन-हिंदी शब्दों की शब्दावली भी रखी है, जो विधि में उपयोग किए जाते हैं ।

****